न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीणा आर.ए.एस.

प्र0सं0. 02 / 2023
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

सुनील कुमार पुत्र श्री जगदीश निवासी कैंचिया तह0 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्री लालचन्द देवर्थ अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांकः –14.10.2024

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 27.12.2022 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं कार्यालय स्टाफ के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग व कालाबाजारी रोकथाम अभियान के दौरान कैचियाँ तहसील पीलीबंगा स्थित एक दुकान पर उपस्थित हुए। मौके पर दुकान में सुनील कुमार उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। दुकान में तलाशी के दौरान 17 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 2 इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर, 1 बांसुरी व 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा पाया गया। उक्त सामान के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर दुकान मालिक द्वारा कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मौके पर गैस रिफिलिंग का कार्य एवं घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक रूप में उपयोग करना स्पष्ट होने पर उक्त 17 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 2 इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर, 1 बांसुरी व 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा को जब्त किया गया। जब्त सामान रामवीर पुत्र रामकुमार उम्र 23 वर्ष जाति बिश्नोई हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर गोदारा इण्डेन गैस एजेन्सी, बींझवायला निवासी 50 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया गया। चूँकि सुनील कुमार पुत्र श्री जगदीश, कैचियाँ तहसील पीलीबंगा का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस अधिनियम 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 17 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 2 इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर, 1 बांसुरी व 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा को राजसात करने के आदेश फरमायें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी [illegible]। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:12:34 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में जवाब [illegible] को दोहराते हुए कथन किये कि प्रार्थी के घर पर शादी समारोह का कार्यक्रम था। शा[illegible] समारोह के लिए 17 घ[illegible] सिलेण्डर इकट्ठे किये, उन 17 घरेलू गैस सिलेण्डर उपयोग करने के बाद कुछ गैस शेष थी जिन्हें पुनः रिफलिंग करवाने के लिए रखे हुये थे। प्रार्थी के घर पर शादी समारोह का

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

कार्यक्रम था। अतः जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि दुकान से जांच के समय प्रवर्तन अधिकारी हनुमागढ द्वारा जब्ती के दौरान प्राप्त 2 इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर, 1 बांसुरी व 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा से निरन्तर रिफिलिंग संबंधी कार्य का व्यक्त करता है। जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डर उपयोग में लिये जा रहे थे, जब व्यावयायिक सिलेण्डरों की ही व्यवसाय में उपयोग किये जा सकते हैं। उक्त कार्य राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा सामान राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि:–

1. जब्ती के दौरान प्राप्त जब्तशुदा 17 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 2 इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर, 1 बांसुरी व 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा निरन्तर रिफिलिंग संबंधी कार्य का व्यक्त करता है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।
2. अप्रार्थी द्वारा जब्ती के समय कोई दस्तावेज, पासबुक, बिल पेश नहीं पेश किये गये हैं, जिससे सिलेण्डरों पर मालिकाना व घरेलू उपयोग सिद्ध हो।
3. अप्रार्थी द्वारा ऐसा भी कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित होता हो कि इनके घर पर कोई शादी या अन्य सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन उस अवधि में किया गया हो और उसमें सिलेण्डर का उपयोग किया गया हो।

अतः उक्त जब्तशुदा 17 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 2 इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप रेग्यूलेटर, 1 बांसुरी व 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

14/10/24

(उम्मेदी लाल मीणा)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:12:34 IST
Reason: SelfAttested